2/5/24 — पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। प्रतिवादी सं० 3,4 लगा० 6 की ओर से श्री दिनेश शर्मा एड० ने UT पेश की। शेष प्रतिवादी सं० 1, 2, 7 लगा० 23 बावजूद रजि० डाक सूचना के अनुपस्थित। शेष प्रति० सं० 1, 2 व 7 लगा० 23 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते वकालतनामा 4 लगा० 6 हेतु दि० 9/5/24 को पेश हो।

U.T प्रतिवादी संख्या 3 लगा० 6 की ओर से [illegible] (दिनेश शर्मा एड०)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

9/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। प्रति० सं० 3 लगा० 6 उप०। प्रति० सं० 4 व 6 की ओर से श्री दिनेश शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। शा० कि० हो। प्रति० सं० 3 व 5 का वकालतनामा पेश करने व प्रति० सं० 3 लगा० 6 की ओर से जवाबदावा पेश करने हेतु पत्रावली दि० 23/5/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

23/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी सं० 3 लगा० 6 उपस्थित। [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] 24/5/24 [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सां०..र)

---

Pr my Adv. Buddhiprakash Sharma

R| Ex & report
04/1/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

वाद पत्र संख्या 18/2024

1. प्रभुनारायण पुत्र श्री श्रीनारायण
2. प्रहलाद पुत्र श्री श्रीनारायण
3. राधेश्याम पुत्र श्री श्रीनारायण
4. सत्यनारायण पुत्र श्री श्रीनारायण

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण समस्त निवासी:– ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।

.............वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री श्रवण
2. सीताराम पुत्र श्री श्रवण
3. नानगराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश
4. राम गोपाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश
5. महेश पुत्र श्री रामपाल
6. राकेश शर्मा पुत्र श्री रामपाल
7. मोहनी देवी पत्नि स्व0 श्री बद्रीनारायण
8. रमेशचन्द पुत्र श्री बद्रीनारायण
9. कैलाश पुत्र श्री श्योनाथ
10. धापू देवी पत्नि श्री सीताराम
11. पुरुषोत्तम पुत्र श्री श्योनाथ
12. प्रहलाद पुत्र श्री रूपनारायण
13. रामकरण पुत्र श्री रूपनारायण
14. रामेश्वर पुत्र श्री रूपनारायण
15. ग्यारसीलाल पुत्र श्री रूपनारायण

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण समस्त निवासी:– ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।

प्रहलाद शर्मा

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र संख्या : 18 / 2024
निर्णय दिनांक 23.05.2024

1. प्रभुनारायण पुत्र श्री श्रीनारायण
2. प्रहलाद पुत्र श्री श्रीनारायण
3. राधेश्याम पुत्र श्री श्रीनारायण
4. सत्यनारायण पुत्र श्री श्रीनारायण समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण समस्त निवासी:– ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।

..वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री श्रवण
2. सीताराम पुत्र श्री श्रवण
3. नानगराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश
4. राम गोपाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश
5. महेश पुत्र श्री रामपाल
6. राकेश शर्मा पुत्र श्री रामपाल
7. मोहनी देवी पत्नि स्व० श्री बद्रीनारायण
8. रमेशचन्द पुत्र श्री बद्रीनारायण
9. कैलाश पुत्र श्री श्योनाथ
10. धापू देवी पत्नि श्री सीताराम
11. पुरूषोत्तम पुत्र श्री श्योनाथ
12. प्रहलाद पुत्र श्री रूपनारायण
13. रामकरण पुत्र श्री रूपनारायण
14. रामेश्वर पुत्र श्री रूपनारायण
15. ग्यारसीलाल पुत्र श्री रूपनारायण

समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण समस्त निवासी:– ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।

16. प्रताप सिंह पुत्र श्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी: ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर। ॰४
17. गोपी देवी पत्नि स्व० श्री बद्री
18. हरीनारायण पुत्र श्री बद्री
19. फूला पत्नि स्व० श्री हजारी
20. जगदीश पुत्र स्व० श्री हजारी
21. बाबूलाल पुत्र स्व० श्री हजारी
22. लाला पुत्र श्री श्योबक्स
23. सीताराम पुत्र श्री श्योबक्स

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जाति मीणा समस्त निवासी: ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०

24. राजस्थान सरकार वाया तीसरी तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज..

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

**दावा बाबत सीमा निर्धारण, पत्थरगढ़ी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम**

**निर्णय**

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की ग्राम श्यामपुरा बुहारिया व ग्राम खेतापुरा पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अभि. नि. वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी में आपस में खातेदार व पडौसी खातेदार काश्तकार है। तहसील सांगानेर के ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अभि.नि. वाटिका के खाता संख्या नया 45 खाता संख्या पुराना 37 के खसरा नं. 257 रकबा 0.38 है०, खसरा नं. 258 रकबा 0.42 है० खसरा नं. 259 रकवा 0. 21 है०, खसरा नं. 260 रकबा 0.15 है० खसरा नं. 269 रकबा 0.20 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.36 है० जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या नया 38 खाता संख्या पुराना 31 के खसरा नं. 213 रकबा 0.19 है०, खसरा नं. 215 रकबा 2.04 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.23 है० स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम है। तहसील सांगानेर के ग्राम खेतापुरा पटवार हल्का मोहनपुरा भूअभि. नि. क्षेत्र वाटिका के खाता संख्या नया 30 खाता संख्या पुराना 41 के खसरा नं. 152 रकबा 0.85 है। कुल किता 1 कुल रकबा 0.85 है० स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम है। उक्त आराजीयात ही वाद पत्र में वादग्रस्त है। ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अभि.नि. वाटिका तहसील सांगानेर मे प्रार्थीगण के पड़ौस में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा नं. 257/1 रकबा 0.37 है०, खसरा नं. 272 रकबा 0.03 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है० स्थित है व खसरा नं. 230, 231, 232. 233, 234, 241, 208, 209, 210, 211, 262, 263 व 269/1 व ग्राम खेतापुरा मे खसरा नं. 154, 159 अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम होने के कारण प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही तहसील कार्यालय सांगानेर में की गई जिसमे तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही सेटलमेन्ट अधिकारियो से करवाने बाबत पत्र लिखा जिस पर लगातार विधि अनुसार कार्यवाही होकर अन्तिम रूप से दिनांक 30.05.2023 व 27.06. 2023 एवं 04.08.2023 को सीमाज्ञान की कार्यवाही नियमानुसार पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक सेटमेन्ट टीम के द्वारा करवा लिया है। जिसमें सभी खातेदारो व उपस्थित व्यक्तियो ने फर्द मौका रिपोर्ट पढकर, सुनकर, समझकर अपने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर दिये तथा पटवारी हल्का ने पालना रिपोर्ट माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर दी। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान आदेश के पश्चात दिनांक 15.12.2023 को अपने परिवारजनो के साथ अपने खेत पर बाजोत करने गयी तो अप्रार्थीगण मौके पर आये और लडाई झगडा करनें लग गये और कहा कि उक्त आराजी तो हमारी है हम तुम्हे बाजोत नहीं करने देगे अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हे जान से मार डालेगे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नियमानुसार पुलिस सुरक्षा के अधीन पत्थ[illegible]आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अ[illegible] जारी किये गये। वकील वादीगण उपस्थित, प्रतिवादी [illegible] की ओर से श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता ने यूटी दी। शेष प्रतिवादी संख्या 1,2 व 7 लगायत 23 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 09.05.2[illegible] को वकील वादीगण उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 4 व 6 की ओर से श्री दिनेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपस्थित उभयपक्षकारानकी पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण र्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया।

हमने उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा वली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश ना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अन्य किसी दिगर न्यायालय का न आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर अप्रार्थीगण की उपस्थिति में र्थीगण की वाके ग्राम श्यामपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा भू.अभि.नि. वाटिका के ता संख्या नया 45 खाता संख्या पुराना 37 के खसरा नं. 257 रकबा 0.38 है०, खसरा 258 रकबा 0.42 है० खसरा नं. 259 रकबा 0.21 है०, खसरा नं. 260 रकबा 0.15 है० सरा नं. 269 रकबा 0.20 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.36 है० तथा खाता संख्या या 38 खाता संख्या पुराना 31 के खसरा नं. 213 रकबा 0.19 है०, खसरा नं. 215 कबा 2.04 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.23 है० स्थित है एवं ग्राम खेतापुरा पटवार ल्का मोहनपुरा भूअभि.नि. क्षेत्र वाटिका के खाता संख्या नया 30 खाता संख्या पुराना 41 के खसरा नं. 152 रकबा 0.85 है0 की पत्थरगढी तहसीलदार सांगानेर एवं भू–प्रबन्ध विभाग से प्राप्त फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश क्रमशः दिनांक 17.04.2023 तथा 31.05.2023 के अनुसार कायम करें। उक्त भूमि दो ग्राम में स्थित है इसलिए यदि दो ग्राम की सीमाओं का विवाद हो तो तहसीलदार सांगानेर दोनो ग्राम की सीमाओं का निर्धारण कर पत्थरगढी करावे और यदि अप्रार्थीगण सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लगाते है तो उनकी भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करावे। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested